भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
2 Rs. COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

138 Cf-M15/-2

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्रक.क्रं. /03/ पुनरीक्षण

R 1438 III/03

अमृतलाल पुत्र जगन्नाथ जायसवाल
निवासी ग्राम जतरी, तहसील त्योंथर
जिला रीवा (म.प्र.)

... आवेदक

विरूद्ध

पारसनाथ पुत्र कामता प्रसाद पाण्डेय
निवासी ग्राम जतरी, तहसील ~~त्योंथर~~ त्योंथर
जिला रीवा (म.प्र.)

..अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दि० 25.9.03 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
25 SEP 2003

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र.क्रं. 357/अपील/98-99 में पारित आदेश दिनांक 16.6.03 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

मुकेश भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 25-9-03

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1. यह कि, अधीनस्थ तीनों न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, प्रकरण में धारा 250 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित किये जाने के कोई भी आधार विद्यमान नहीं थे, इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया जिसे अपीली न्यायालयों द्वारा भी बिना कोई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1438–तीन/2003 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम0एस0 थान उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 357/अपील/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 16.06.03 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के अधिवक्ता ने निगरानी मेमों में दर्शाये गये बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि पूर्व में धारा 250 का आवेदन खारिज होने के उपरांत पुनः धारा 250 का प्रकरण नहीं चल सकता। आवेदक का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर एक बार अनाधिकृत कब्जा किये जाने के उपरांत प्रकरण का निराकरण होने पर दुबारा यदि	

अनाधिकृत कब्जे की स्थिति बनती है तो संबंधित पक्षकार के पास संहिता की धरा 250 के तहत पुनः सक्षम न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है किन्तु संहिता की धारा 250 में सीमांकन की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जा सकता । परंतु यदि संहिता की धारा 129 के अधीन सीमाओं का अंकन किया गया हो और यह पाया जाये कि कोई व्यक्ति सीमांकन के पश्चात संहिता के उपबंध के अधीन अप्राधिकृत हो जायेगा और उसके विरूद्ध धारा 250 के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी ।

5/ प्रकरण में उभयपक्ष ने स्वीकार किया है कि सीमांकन की कार्यवाही हुई है । किसी भी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की निश्चित जानकारी निर्धारित करने का एक मात्र तरीका सीमांकन कराये जाने का ही है । प्रकरण में प्रकरण में विधिवत सीमांकन होना पाया जाता है । ऐसी स्थिति में सीमांकन दिनांक से जानकारी होने के उत्तरवादी के तर्क को न मानने का कोई आधार नहीं है तथा इस संबंध में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । जहॉ तक आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर पुराना कब्जा होने का प्रश्न है । यह र्निविवादित है कि भू–अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि उत्तरवादी के नाम दर्ज है । यदि आवेदक को कोई विधिवत स्वत्व प्राप्त था तो प्रश्नाधीन भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के लिये उसको संबंधित प्रावधानों के तहत विधिवत कार्यवाही करानी चाहिये । अपर आयुक्त रीवा ने विधिवत आदेश पारित किया है जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदक के

द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 16.06.03 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य